


संरक्षा शाखा  
सोलापुर मंडल



Safety Branch  
Solapur Division

संरक्षा परिपत्र  
Safety Circular  
07/2021-22



विषय: फ्लैट पहिया घटना की रोकथाम

Sub:- Prevention of incidence of Flat Wheel.

दिनांक/Date : 13.07.21

संरक्षा परिपत्र - 07/2021-22

सभी संबंधित / सोलापुर मंडल

विषय :- फ्लैट पहिया घटना की रोकथाम

\*\*\*\*\*

फ्लैट टीयर की अनेक घटनाएं हो जाती हैं, जिससे ट्रैक की बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचती है और जिसकी वजह से रेल फ्रैक्चर एवं वेल्ड फेल्युअर हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर दुर्घटना हो जाती है।

क निवारक उपाय :-

- (i) डिपो / सिक लाइन में कार्यरत गाड़ी परीक्षण कर्मचारियों द्वारा टीयर डिफेक्ट गेज की सहायता से व्हील ट्रेड की फ्लैटनेस ( समतलता ) की जांच की जानी चाहिए। व्हील ट्रेड पर अनुमेय फ्लैट की सीमा गुडस ट्रेन के मामले में 60 मि मि और कोचिंग स्टॉक/लोको के मामले में 50 मि मि है। सभी गाड़ी परीक्षण कर्मचारी नियम :-2.8.4, 3.2.2 में विहित पूर्वोपायों का पालन किया जाए और कोचिंग स्टॉक के लिए आई आर सी ए सम्मेलन नियम के भाग iv के अंतर्गत "टीयर खराबियां" एवं "एस" सहायक नियम - 4.2.1 तथा फ्रेट स्टॉक के लिए आई आर सी ए सम्मेलन नियम के भाग 3 के अंतर्गत पैरा 4.18.1 का पालन किया जाए।
- (ii) फिल्ड यूनिटों द्वारा प्रत्येक परीक्षण स्थल के डिपो में वैगनों के डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्वों की कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाए।
- (iii) लोडिंग / अनलोडिंग स्थलों से लोड के संचालन से पहले, गाड़ी कर्मीदल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हैण्ड ब्रेकों सहित सभी वैगन रिलिज्ड स्थिति में हैं।
- (iv) दिनांक 27.07.2020 के वरि.मंडल यांत्रिक इंजिनियर , वरि.मंडल विद्युत इंजिनियर एवं वरि.मंडल परिचालन प्रबंधक द्वारा जारी संयुक्त कार्यविधि आदेश के अनुसार लोड टेबल एवं उससे संबंधित स्थितियों का पालन करें ।
- (v) रोडसाइड स्टेशनों से लोड लेते समय, गाड़ी कर्मीदल हैण्डब्रेकों को रिलीज किया जाना चाहिए।
- (vi) लोको पायलट द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि एअरफ्लो इंडिकेटर ( सफेद नीडल ) फिक्स्ड नीडल से अनुरूप होना चाहिए।
- (vii) लोको पायलट यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि संचालन से पहले प्रत्येक ब्रेक एप्लिकेशन के बाद गुडस एवं पैसंजर गाड़ियों में उचित रिलिज समय दिया जा रहा है।
- (viii) गाड़ी शुरु करने से पूर्व सैण्डरों का कार्य एवं रैती की उपलब्धता जांच की जाए जिससे गाड़ी की स्टालिंग को रोका जा सकता है ।
- (ix) लोको पायलट ग्रेड क्लियर करने में आत्मविश्वास नहीं होने की स्थिति में बँकर की मांग करेंगे।
- (x) गाड़ी एक बार स्टॉल हो जाने पर, सेक्शन क्लियर करने हेतु लोको पायलट द्वारा प्रयास नहीं की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि लोड ट्रेक्शन पर लेनेसे पहले, पूरी तरह से रिलिज स्थिति में है।

**ख फ्लैट टीयर का पता लगाना :-**

- (i) लोको पायलट और गार्ड फॉर्मेशन में हैमरिंग साउंड / असाधारण आवाज का पता लगाने में चौकन्ना रहना चाहिए।
- (ii) सभी प्रमुख गाड़ी परीक्षण स्थानों पर 'रोलिंग इन/ रोलिंग आउट' परीक्षण के दौरान सवारी एवं माल-डिब्बा कर्मचारियों द्वारा चलती गाड़ी में व्हील टीयर पर फ्लैट फेस का पता लगाया जाए।
- (iii) जिन स्टेशनों पर प्रवेश एवं निकास स्थानों पर अंडर गियर की जांच करने हेतु सवारी एवं माल - डिब्बा कर्मचारी भेजे जाते हैं तो स्टेशनों पर से गुजरने वाले पैसेंजर एवं माल गाड़ियों में फ्लैट टीयर का पता लगाने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए।
- (iv) स्टेशन परिचालन कर्मचारियों द्वारा 'ऑल राइट' सिगनलों का आदान - प्रदान करते समय, चलती गाड़ी में किसी प्रकार का आसाधारण / देखने हैमरिंग साउंड ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सजग रहना चाहिए और गाड़ी रोक कर परीक्षण के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। यदि वे इस प्रकार की आवाज सुनने पर उन्हें इस प्रकार के वैगन के स्थान से गणना प्रारंभ करते हुए ब्रेक यान तक (इसे एक के रूप में गणना करते हुए) गणना की जाए। चलती गाड़ी में इस प्रकार के वैगन के स्थान का निर्धारण करते हुए अगले स्टेशन एवं नियंत्रण कार्यालय को सूचित किया जाए।
- (v) यातायात / इंजीनियरी फाटकवाले और इंजीनियरी गैंगों को चौकन्ना एवं चलती गाड़ी में किसी प्रकार का आसाधारण देखने ध्यानपूर्वक / हैमरिंग साउंड सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यदि कोई आसाधारण देखने / हैमरिंग साउंड सुनाई देने पर इसे अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित किया जाना चाहिए।
- (vi) कार्यस्थल पर मौजूद इंजीनियरी विभाग के कर्मचारी और पर्यवेक्षक या ट्रॉली निरीक्षण के कर्मचारी एवं पर्यवेक्षक चलती गाड़ी पर किसी प्रकार का आसाधारण देखने / हैमरिंग साउंड का पता लगाने के लिए सतर्क रहना चाहिए। वे अगले स्टेशन पर गाड़ी को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए और वैगन /कोच / लोको परीक्षण के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए।
- (vii) गाड़ी पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारी जैसे - चल टिकट परीक्षक, कोच अटेंडन्ट, ए सी मेकेनिक और इसके अलावा गाड़ी में यात्रा करने वाले अन्य पर्यवेक्षक / अधिकारी द्वारा संबंधित कोच में किसी प्रकार का आसाधारण / हैमरिंग साउंड का भी पता लगा सकेगा।

**ग फ्लैट टीयर का पता लगाने के बाद कर्मचारियों की भूमिका**

**(क) गाड़ी के लोको पायलट एवं गार्ड**

- (i) ब्लॉक सेक्शन में फॉर्मेशन पर हैमरिंग साउंड के बारे में जानकारी प्राप्त होने / पता लगने पर गाड़ी कर्मिदल सावधानी पूर्वक सेक्शन से स्टेशन तक गाड़ी क्लियर करेंगे। गाड़ी को अधिमानतः लूप लाइन पर लिया जाना चाहिए।
- (ii) यदि स्टेशन पर सवारी एवं माल - डिब्बा विभाग के कर्मचारियों की तैनाती की गई हो और उन्हें आने के लिए समय लगता है तो गाड़ी कर्मिदल गाड़ी की परीक्षण करेंगे और मेजरिंग स्केल की सहायता से व्हील फ्लैट की विस्तार की गणना करेंगे। यह गणना क्रमशः कोचिंग / लोको के मामले में 50 मि. मि. तथा वैगन के मामले में 60 मि. मि. है। टीयर में फ्लैटनेस (समतलता) का फैलाव गिनने में गाड़ी कर्मिदल (लोको पायलट सहायक लोको पायलट और गार्ड) को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- (iii) यदि फ्लैटनेस ( समतलता ) अनुमेय सीमा से अधिक होने पर, खराब वाहन को अलग किया जाना चाहिए या पूरे लोड को निकाल देना चाहिए चूंकि इसे ठीक करने हेतु प्रतिबंधित गति से निकटतम स्थान पर ले जाने के लिए परिचालनिक दृष्टि से संभव है।

**(ख) यांत्रिक ( सवारी एवं माल डिब्बा ) कर्मचारी :-**

- (i) जहां कोई सवारी एवं माल डिब्बा कर्मचारी उपलब्ध होने पर उनके द्वारा गाड़ी की परीक्षण की जानी चाहिए और फ्लैट टीयर पुष्टि होने पर तदनुसार अगली कार्रवाई की जानी चाहिए।

**(ग) परिचालन कर्मचारी :-**

- (i) एक बार फ्लैट टीयर की सूचना प्राप्त हो जाने पर किसी भी परिस्थितियों में संदिग्ध फ्लैट टीयर के साथ गाड़ी चलाने के लिए सहायक स्टेशन मास्टर अनुमति नहीं देगा।
- (ii) सवारी व माल डिब्बा विभाग के कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के मामले में खंड नियंत्रक के साथ विचार-विमर्श करके गणना करने के बाद लोको पायलट और गार्ड द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात डिटेचमेंट (अलग) किया जाएगा।
- (iii) रोडसाइड स्टेशनों पर लोड खडा (स्टैबलिंग) करते समय लोड को स्टेशन भवन के विरुद्ध दिशा में लूप लाइन पर खडा किया जाए जिससे स्टेशन से गुजरने वाले गाड़ियों का स्पष्टरूप से अवलोकन किया जा सके ।

**घ नियंत्रण कार्यालय का कार्य :-**

- (i) स्टेशनों द्वारा दिए गए सूचनाओं को गंभीरता से लेकर तथा स्टेशन मास्टर से जानकारी प्राप्त हो जाने पर खंड नियंत्रक गाड़ी को अगले स्टेशन पर जहां लूप लाइन उपलब्ध है ऐसे स्टेशन पर रोक देगा और लोको पायलट एवं गार्ड द्वारा गाड़ी का परीक्षण किया जाएगा और इसकी सूचना सवारी एवं माल डिब्बा नियंत्रक, उप नियंत्रक एवं मुख्य नियंत्रक को दी जाएगी।
- (ii) उप नियंत्रक इंजीनियरी नियंत्रक के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और पिछले ब्लॉक सेक्शन की निरीक्षण करने हेतु इंजीनियरी विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर / जूनियर इंजीनियर ( रेल पथ ) को भेजेंगे।
- (iii) नियंत्रकों को इंजन की हॉलिंग क्षमता, सेक्शन में मौजूद येडिएन्ट ( उतार - चढ़ाव ) , लोड चार्ट और उनकी जानकारी तथा सुलभता की दृष्टि से सिगनल 'ऑफ' की स्थिति नियंत्रकों के सामने प्रदर्शित की जाए।
- (iv) जहां कोई लोको पायलट द्वारा मांग किए जाने पर बैंकर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए।

**ड इंजीनियरी नियंत्रण और रेल पथ कर्मचारी**

- (i) सीनियर सेक्शन इंजीनियर / जूनियर इंजीनियर ( रेल पथ ) की सतर्कता में इंजीनियरी नियंत्रण द्वारा यातायात नियंत्रण से समन्वय स्थापित करेंगे और किसी संभाव्य वेल्ड / रेल फेल्युअर की रोकथाम के लिए खंड के परीक्षण का प्रबंध करेंगे।
- (ii) यदि कोई फ्लैट टीयर की पुष्टि होने पर, आवश्यकता पड़ने पर यथाशीघ्र रेलों की और वेल्ड की यूएसएफडी परीक्षण की जाए।
- (iii) उचित गति प्रतिबंधक लागू किया जाए और आवश्यक सुधार कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

  
( निसा ए देशमुख )

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी / सोलापुर